न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 192/2014

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. गणपतलाल पुत्र सुवालाल
2. नरपतलाल पुत्र सुवालाल

जातियात-साद, निवासी-लितरिया

तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. रणवीरसिंह पुत्र सुवालाल
2. पारस पुत्र चुना जाति-साद
3. जोगाराम पुत्र लाबुराम देवासी
4. अयोध्यादेवी पत्नि नेनदास
5. सुखीदेवी पत्नि भोलाराम साद

   निवासीगण-लितरिया

   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6. तहसीलदार, जैतारण

   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.11.09.2014

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 30/05/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 88/1 रकबा 9-07 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 102 रकबा 5-16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 125/1 रकबा 4-00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-3 कुल रकबा 19-03 बीघा तथा सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 517 रकबा 8-03 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 519 रकबा 9-13 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-2 कुल रकबा 17-16 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। सरहद मौजा-निम्बोल में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 492/1159 रकबा 23-16 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं। इसी प्रकार मौके पर काश्त करते आ रहे हैं एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का आया हुआ हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण का परिवार बड़ा होने व शामलाती जमीन होने से संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं हैं। हर रोज किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता हैं एवं वादीगण अपने हिस्से की जमीन पर बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तथा बंटवाड़ा करवाकर खाद डालकर उपजाऊ बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रतिवादी ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नहीं चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का कहा कि जिस कदर मौके पर काबिज हैं। उसी कदर बंटवाड़ा करना चाहते हैं। लेकिन प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करने से मना करते हैं। दिनांक 15/08/2014 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा कराने के लिया कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इसलिए अदालत बाला में बंटवाड़ा का दावा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित पद संख्या 1 में बताई गई भूमि खसरा नम्बर 88/1, 102,125/1 कुल रकबा 19-03 बीघा बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बहिस्सा बराबर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। लेकिन अब उक्त भूमि में खसरा नम्बर 88/1 में वादी संख्या 1 गणपतलाल के हिस्से में 2-09 बीघा तथा वादी संख्या 2 नरपतलाल का खसरा नम्बर 88/1 में 3-10 बीघा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह का खसरा नम्बर 88/1 में 3-08 बीघा हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 102 में प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह के 2-00 बीघा व वादी संख्या 2 नरपतलाल के 3-16 बीघा रहेगी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 125/1 में वादी संख्या 1 गणपतलाल के 4-00 बीघा रहेगी। सरहद मौजा-निम्बोल की जमीन खसरा नम्बर 517 व 519 रकबा 17-16 बीघा भूमि आई हुई हैं। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं। 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का आया हुआ हैं। खसरा नम्बर 517 में से 1/2 हिस्से की 4 बीघा डेड बिस्वा भूमि वादी संख्या 2 नरपतलाल के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 519 में से 1/2 हिस्से की जमीन 4-17 बीघा वादी संख्या 1 गणपतलाल के रहेगी। बकाया 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 पारस के हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। सरहद मौजा-निम्बोल की जमीन खसरा नम्बर 492/1159 रकबा 23-16 बीघा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आई हुई हैं। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं। उक्त 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह 5-19 बीघा रहेगी। बकाया हिस्से बदस्तूर रहेंगे। वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में बंटवाड़ा वादी संख्या 1 गणतपलाल का हिस्सा खसरा नम्बर 519, 125/1, 88/1 कुल किता-3 कुल रकबा 11-06 बीघा हैं। वादी संख्या 2 नरपतलाल का हिस्सा खसरा नम्बर 517, 88/1, 102 कुल किता-3 कुल रकबा 11-08 बीघा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह का हिस्सा 492/1159 में से 1/4 हिस्सा, 88/1, 102 कुल किता-3 कुल रकबा 11-07 बीघा का हिस्सा हैं। उक्त वर्णित हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवाड़ा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा बकाया प्रतिवादीगण के हिस्से बदस्तूर रहेंगे। वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण कोई किसी प्रकार की बाधा, दखलन्दाजी नहीं करे जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी हैं। उक्त दावा घोषणा, बंटवाड़ा का होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं एवं प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वादीगण का बिनायवाद दिनांक 15/08/2014 को जब प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने से मना करने पर बमुकाम-लितरिया में पैदा हुआ, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में हैं व अन्दर मयाद पेश किया हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – निम्बोल में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा–लितरिया, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील–जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 88/1 रकबा 9–07 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 102 रकबा 5–16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 125/1 रकबा 4–00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–3 कुल रकबा 19–03 बीघा तथा सरहद मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 517 रकबा 8–03 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 519 रकबा 9–13 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–2 कुल रकबा 17–16 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रुबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका आज दिनांक 30/05/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–लितरिया, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील–जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 88/1 रकबा 9–07 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 102 रकबा 5–16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 125/1 रकबा 4–00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–3 कुल रकबा 19–03 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	गणपतलाल पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	88/3	2-10-00	बा0अ0
		125/1	4-00-00	बा0अ0
	योग	2	6-10-00	बा0अ0
2	नरपतलाल पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	88/4	3-09-00	बा0अ0
		102/1	1-19-00	बा0अ0
	योग	2	5-08-00	बा0अ0
3	रणवीरसिंह पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	88/1	3-08-00	बा0अ0
		102	3-17-00	बा0अ0
	योग	2	7-05-00	बा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 517 रकबा 8-03 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 519 रकबा 9-13 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-2 कुल रकबा 17-16 बीघा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 492/1159 रकबा 23-16 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गणपतलाल पुत्र सुवालाल कौम-साद सा0 लितरिया खातेदार।	519	4-17-00	बा0अ0	3.00 रू.
2	नरपतलाल पुत्र सुवालाल कौम-साद सा0 लितरिया खातेदार।	492/1	5-19-00	बा0दो0	3.69 रू.
3	रणवीरसिंह पुत्र सुवालाल कौम-साद सा0 लितरिया खातेदार।	517	4-01-00	बा0अ0	2.51 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि-निम्बोल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

ईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. गणपतलाल पुत्र सुवालाल
2. नरपतलाल पुत्र सुवालाल

जातियात–साद, निवासी–लितरिया
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

1. रणवीरसिंह पुत्र सुवालाल
2. पारस पुत्र चुना जाति–साद
3. जोगाराम पुत्र लाबुराम देयासी
4. अयोध्यादेवी पत्नि नेनदास
5. सुखीदेवी पत्नि भोलाराम साद

निवासीगण–लितरिया
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

6. तहसीलदार, जैतारण

तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:192/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–लितरिया, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील–जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 88/1 रकबा 9–07 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 102 रकबा 5–16 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 125/1 रकबा 4–00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–3 कुल रकबा 19–03 बीघा का निम्नांकित रूप से बंट्वाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	गणपतलाल पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	88/3	2-10-00	बा0अ0
		125/1	4-00-00	बा0अ0
	योग	2	6-10-00	बा0अ0
2	नरपतलाल पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	88/4	3-09-00	बा0अ0
		102/1	1-19-00	बा0अ0
	योग	2	5-08-00	बा0अ0
3	रणवीरसिंह पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	88/1	3-08-00	बा0अ0
		102	3-17-00	बा0अ0
	योग	2	7-05-00	बा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सरहद मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 517 रकबा 8–03 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 519 रकबा 9–13 बीघा किस्म बा0अ0, कुल केता–2 कुल रकबा 17–16 बीघा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 492/1159 रकबा 23–16 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गणपतलाल पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	519	4-17-00	बा0अ0	3.00 रू.
2	नरपतलाल पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	492/1	5-19-00	बा0दो0	3.69 रू.
3	रणवीरसिंह पुत्र सुवालाल कौम–साद सा0 लितरिया खातेदार।	517	4-01-00	बा0अ0	2.51 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–निम्बोल पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	03–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	– –	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	– –	मुत्फरिक	
मिजानः–	09–00	मिजानः–	—Nil—

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner